आपराधिक प्र.क्र.: 1020 / 2014

<u>न्यायालय : न्यायिक मजिस्टेट् प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)</u> (समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

<u>आपराधिक प्र.क.: 1020 / 2014</u> संस्थित दि: 03 / 11 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.) —————— अभियो

विरुद

- लता पिता रितराम यादव, उम्र 27 साल, जाति अहीर, निवासी उकवा थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 2. देन्वेन्द्र उर्फ चिन्टू पिता बन्डू चिन्तमवार, उम्र 23 साल, जाति कुन्बी, निवासी वार्ड नं. 10 उकवा थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 3. नाहने उर्फ नंदू उर्फ नंदिकशोर पिता श्री सुबेलाल नाहने, उम्र 27 साल, निवासी पानीटोला चौकी उकवा थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 4. सौरभ पिता दिलीप अग्रवाल, उम्र 24 साल, निवासी उकवा वार्ड नं. 06 उकवा बस्ती, थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- कमल उर्फ कमलप्रसाद तेकाम पिता धुन्दुलाल तेकाम, उम्र 34 साल,
 निवासी अमेड़ा थाना भरवेली, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- मोनू उर्फ मोटू उर्फ आकाश पिता हिरशचंद अग्रवाल, उम्र 20 साल,
 निवासी वार्ड नं. 12 पानीटोला उकवा थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

–<u>ः उपपिण – आदेश ः</u>–

<u>(आज दिनांक 11/12/2014) को उपार्पित किया गया)</u>

- (01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया भारती तेकाम ने दिनांक 27.09.2014 को आरक्षी केन्द्र रूपझर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 09.09.2014 को दिन मंगलवार को प्रातः 09:00 बजे सेन्ट्रल बैंक

उकवा से पैसा निकालने गई थी। बैंक के बाजू में उकवा की लता यादव मिली जिसने बहला फुसलाकर अपने घर ले जाकर रात में रोककर मटन लाकर खिलाई और शराब पिलाई और अलग कमरे में सुलाई उसी रात करीब 11:00 बजे चिन्टू नाम का एक लड़का आकर कमरे में जबरदस्ती बुरा काम (बालात्कार) किया तब उसने मना किया तो वह लड़का बोला कि उसने उस काम के लिये लता यादव को पैसा दिया है। उसके बाद सौरभ नाम का लड़का आया उसने भी दिन में बुरा काम (बालात्कार) किया। दूसरे दिन नहाने नाम का लड़का आया और उसने भी उसके साथ बुरा काम (बालात्कार) किया। इस प्रकार दिनांक 25.09.2014 तक लता अपने घर में रखकर परेशान कर अलग—अलग लड़कों से गलत काम कराती रही। उसी बीच कमल नाम का लड़का आया और उसने भी उसके साथ बुरा काम (बालात्कार) किया। लता द्वारा उसे धमकाकर बुरा काम कराती थी। दिनांक 26.09.2014 को भागकर उसने घर जाकर अपने मॉं–बाप को उक्त बात बताई। फरियादिया की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध कमांक 112/14 अन्तर्गत धारा 363, 366,ए, 342, 376, 376(एफ) भा.दं.वि. एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण अधिनियम) 3(2)(5) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 5/6 के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366(ए), 342, 376, 376(एफ), 370(क), 370(4), 370(2) एवं अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1950 की धारा 5, 6 तथा 3, 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, व 3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया । (03)
- प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की (04)धारा 363, 366(ए), 342, 376, 376(एफ), 370(क), 370(4), 370(2) एवं अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1950 की धारा 5, 6 तथा 3, 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, व 3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराएं माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।
- आरोपीगण को धारा 207 द०प्र०सं० के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी (05)गई।,
- उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (06)महोदय, बालाघाट को भेजी जावे ।

आपराधिक प्र.क.: 1020 / 2014

प्रकरण में आरोपी नाहने उर्फ नंदू, सौरभ जमानत होने से तथा आरोपी लताबाई (07)जिला जेल बालाघाट एवं आरोपी देवेन्द्र उर्फ चिन्दू, कमल उर्फ कमल प्रसाद, मोनू उर्फ मोटू उपजेल बैहर में न्यायिक अभिरक्षा में निरूध्द होने से उनका कमीटल वारंट जारी कर माननीय विशेष न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक 24.12.2014 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रखने हेतु जेल अधीक्षक, जिला जेल बालाघाट एवं उपजेल बैहर को निर्देशित किया जाता है।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नायब नाजिर बैहर की अभिरक्षा में होने से उक्त सम्पत्ति आगामी तिथि के पूर्व माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु नायब नाजिर, बैहर को निर्देशित किया जाता है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया । आदेश मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

